[2018] 4 उम. नि. प. 399

मोतीराम पाडु जोशी

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

10 जुलाई, 2018

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर. बानुमती

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302/149 – हत्या और विधिविरुद्ध जमाव – अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा घातक आयुधों से लैस होकर मृतक पर हमला किया जाना – मृतक की क्षतियों के कारण मृत्यु हो जाना – दोषसिद्धि – जहां घटना की प्रथम इत्तिला तत्परता से दर्ज कराई हो, घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य की संपुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से हुई हो और अभियुक्तों से बरामद आयुधों पर मृतक के रक्त समूह का रक्त पाया गया हो, वहां अभियोजन का पक्षकथन युक्तियुक्त संदेह के परे साबित होने पर अभियुक्तों की दोषसिद्धि उचित है और उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है ।

इस अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तारीख 26 अप्रैल, 1992 को मृतक मचिन्द्र बिजली फिटिंग के कार्य के लिए अभि. सा. 3 और 4 के साथ गांव नंदगांव गया था और वे लगभग 8.30 बजे अपराह्न में मृतक के मकान पर वापस आए थे । तीनों रात्रि भोजन करने के पश्चात् आंगन में चारपाई पर बैठे हुए थे । तत्पश्चात्, अभि. सा. 2 मकान के अंदर रात्रि भोजन कर रहा था । लगभग 9.30 बजे अपराह्न में अपीलार्थी अन्य अभियुक्तों के साथ तलवार, चाकू, लाठी और मोटरसाइकिल की चेन जैसे घातक आयुधों से लैस होकर मृतक मचिन्द्र के मकान के आंगन में आए । अपीलार्थी मोतीराम (अभि. सा. 3) अपने हाथ में तलवार लिए हुए था और उसने मृतक के सिर पर हमला किया । अपीलार्थी रतन (अभि. 5) ने तलवार से मृतक की टांगों पर आक्रमण किया । अपीलार्थी रामनाथ (अभि. 8) ने भी तलवार से उसके सिर पर आक्रमण किया । अपीलार्थी देवीदास (अभि. 7) ने चाकू से मृतक के हाथों और टांगों पर आक्रमण किया । अन्य अभियुक्तों ने, जिनके विरुद्ध अपील का उपशमन हो गया है, मोटरसाइकिल की चेन और लाठियों से मृतक पर आक्रमण किया । अभियुक्तों को घातक आयुधों से लैस देखकर अभि. सा. 3 और 4 भयभीत हो गए और मकान के अंदर चले गए तथा मकान की खिड़की के पास

खड़े हो गए और घटना को देखा । हमले के कारण मृतक को गंभीर क्षतियां पहुंचने पर वह चारपाई से गिर गया और अभि. सा. 2 मृतक को अपने भाई अभि. सा. 5 एकनाथ जोशी के ट्रक में टलोजा पुलिस थाने लेकर आया । मृतक की गंभीर हालत को ध्यान में रखते हुए उसे पुलिस कांस्टेबल म्हात्रे के साथ नगरपालिका औषधालय, पांवेल भेजा गया । अभि. सा. 15 आत्माराम, हेड कांस्टेबल ने अभि. सा. 2 का कथन अभिलिखित किया, जिसके आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149 और 307 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई । उसी दिन रात्रि में लगभग 11.30 बजे मचिन्द्र की क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट भारतीय दंड संहिता की धारा 307 से धारा 302 में तब्दील की गई । अभियुक्तों को तारीख 27 अप्रैल, 1991 को गिरफ्तार किया गया । अपीलार्थी मोतीराम के प्रकटन कथन के आधार पर तारीख 9 मई, 1992 को एक तलवार (वस्तु सं. 8) बरामद की गई । अपीलार्थी रतन और रामनाथ के बताने पर तारीख 11 मई, 1992 और 10 मई, 1992 को तलवारें (वस्तु सं. 9) भी बरामद की गईं । अन्य अभियुक्तों से मोटरसाइकिल की चेन और लाठियां बरामद की गई । रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट से यह प्रकट हुआ कि वस्तु सं. 8 (अपीलार्थी मोतीराम के बताने पर बरामद तलवार) और वस्तु सं. 12 (मोटरसाइकिल की चेन) पर समूह "ए" का रक्त पाया गया था । अन्वेषण पूर्ण होने पर सभी नौ अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 147, 148 और 302 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया । विचारण न्यायालय ने साक्ष्य पर विचार करने के उपरांत यह उल्लेख किया कि अभि. सा. 2 की आपराधिक पृष्ठभूमि है और उसका साक्ष्य अनधिसंभाव्य है । विचारण न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि अभि. सा. 3 और 4 की घटनास्थल पर मौजूदगी संदेहास्पद है और उनके साक्ष्य अविश्वसनीय है तथा अभियुक्तों को दोषसिद्धि करने के लिए उनका अवलंब नहीं लिया जा सकता है । विचारण न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष न अभियुक्तों की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं किया है और सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया । राज्य द्वारा अपील करने पर उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्तों के आरोपित कृत्य के बारे में अभि. सा. 2 से 4 का साक्ष्य संगत है और चिकित्सीय साक्ष्य तथा आयुधों की बरामदगी द्वारा संपुष्टि की गई है । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि विचारण न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य पर अविश्वास करके गलती की है और

विचारण न्यायालय के तर्काधार अनुचित है । उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को उलट दिया और अपीलार्थियों को दोषसिद्ध किया । उच्च न्यायालय ने अभियुक्त बाबुराव (अभि. सा. 2) की दोषमुक्ति को कायम रखा । अभियुक्तों द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – यदि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट विलंब के बिना दर्ज की जाती है, तो उसमें हमलावरों या साक्षियों के नामों के बारे में हुआ लोप सदैव अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं होगा । जब तक मामला गढ़ने के संकेत न हों, न्यायालय केवल लोप के कारण ही प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में दिए गए अभियोजन के पक्षकथन को नामंजूर नहीं कर सकता है । प्रस्तुत मामले में, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट विलंब के बिना रजिस्ट्रीकृत की गई थी और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तत्परता से रजिस्ट्रीकृत कराना ही अभियोजन के पक्षकथन के प्रति विश्वास उत्पन्न करता है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का उद्देश्य विधि के अधीन कार्रवाई को आरंभ करना है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में हमलावरों के नाम या साक्षियों के नाम न देना अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक नहीं है । उच्च न्यायालय ने ठीक ही यह मत व्यक्त किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के नामों का उल्लेख न होने की बात अभियोजन पक्षकथन के लिए मुश्किल से ही घातक हो सकती है । अभि. सा. 3 और 4 ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि घातक आयुधों से लैस अभियुक्तों की संख्या देखकर वे घबरा गए और मकान के अंदर चले गए तथा खिड़की के पास खड़े हो गए और घटना को देखा । उनके साक्ष्य पर इस आधार पर संदेह नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने आक्रमण में मध्यक्षेप नहीं किया था और न ही मृतक को बचाने का प्रयत्न किया था । अपराध होता हुआ देखकर प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने तरीके से प्रतिक्रिया करता है और उनके साक्ष्य पर इस आधार पर संदेह नहीं किया जा सकता है कि साक्षी ने एक विशिष्ट रीति में कृत्य नहीं किया था । अभि. सा. 3 और 4 के साक्ष्य पर केवल इस कारण संदेह नहीं किया जा सकता कि उन्होंने एक विशिष्ट रीति में कृत्य नहीं किया था । साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि क्या साक्षी के साक्ष्य में, उसे समग्र रूप में पढ़ने पर, सत्यता झलकती है और अभियोजन के पक्षकथन के अनुरूप है या नहीं या दृष्टिकोण यह पता लगाने का होना चाहिए कि क्या साक्ष्य मामले के साधारण तात्पर्य के विरुद्ध है या नहीं । उनके साक्ष्य पर केवल इस कारण संदेह नहीं किया जा

सकता है कि वे विरोधी गुट के हैं । अपेक्षित यह है कि उनके साक्ष्य की संवीक्षा सतर्कता और सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए । अभि. सा. 2 से 4 के साक्ष्य का परीक्षण करने पर उच्च न्यायालय ने यह पाया कि उनके साक्ष्य संगत और भरोसेमंद हैं । हम भिन्न दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं पाते हैं । अभि. सा. 2 से 4 के साक्ष्य की संपुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से होती है । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 14 ने यह राय व्यक्त की कि नौ से चौदह क्षतियां तलवारों (वस्तु सं. 8 और 9) द्वारा कारित की जा सकती थीं । इस प्रकार, अभि. सा. 2 से 4 के मौखिक साक्ष्य की संपुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा होती है । अभि. सा. 14 डा. रामराव, जिसने मरणोत्तर परीक्षा की थी, ने यह पाया था कि "उदर में आधा चावल पचा नहीं है ।" अभि. सा. 14 ने यह राय व्यक्त की कि मृतक की मृत्यु उसके अंतिम भोजन के दो घंटे के भीतर हुई थी और यह राय पुनः अभि. सा. 2 से 4 के साक्ष्य के अनुरूप है । अभि. सा. 14 के चिकित्सीय साक्ष्य से अभि. सा. 2 से 4 के साक्ष्य के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है । अभियुक्तों से आयुधों की बरामदगी से भी अभियोजन के पक्षकथन की संपुष्टि होती है । अपीलार्थी मोती राम के प्रकटन कथन के आधार पर एक तलवार (वस्तु सं. 8) बरामद की गई थी और एक अन्य तलवार (वस्तु सं. 9) अपीलार्थी रतन के बताने पर बरामद की गई थी और अपीलार्थी रामनाथ के प्रकटन कथन के आधार पर भी एक अन्य तलवार बरामद की गई थी । रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट (प्रदर्श ए-32) से यह दर्शित होता है कि घटनास्थल से अभिगृहीत रजाई पर पाए गए रक्त के धब्बे "ए" समूह के थे । अपीलार्थी मोती राम (वस्तु सं. 8) और रतन (वस्तु सं. 9) के प्रकटन कथन के आधार पर जो तलवारें बरामद की गईं थीं, उन पर भी "ए" समूह का रक्त पाया गया था । बरामद किए गए आयुधों पर "ए" समूह के रक्त (मृतक का रक्त समूह) की मौजूदगी भी अभि. सा. 2 से 4 के साक्ष्य की संपुष्टि और अभियोजन के पक्षकथन को सुदृढ़ करने वाला एक अन्य साक्ष्य है । जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया है और उसके निष्कर्ष अनुचित हैं । जब विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण अनुचित है, तो दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील में उच्च न्यायालय का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह साक्ष्य का मूल्यांकन करे । मृतक को कुल छब्बीस क्षतियां पहुंची थी । अभि. सा. 1 से 3 ने घटना के बारे में अविचल रूप से कथन किया है और अपीलार्थी घातक आयुधों से लैस थे और अपीलार्थियों के आरोपित कृत्यों की संपुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य के साथ-साथ

अपीलार्थी/अभियुक्तों से की गई आयुधों की बरामदगी से भी होती है । जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा मत व्यक्त किया गया है, विचारण न्यायालय ने अमहत्वपूर्ण पहलुओं जैसे "मृतक की जांघ और टांगें कीचड़ से सनी हुई थीं" और साक्षियों का आचरण कि उन्होंने एक विशिष्ट रीति में प्रतिक्रिया क्यों नहीं की, को महत्व दिया गया और ऐसा करते समय विचारण न्यायालय अभियोजन के पक्षकथन के आधार का मूल्यांकन करने में असफल रहा है । उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाने पर कि विचारण न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष गलत था, विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के आदेश को उलट दिया । हम उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार नहीं पाते हैं । (पैरा 14, 15, 17, 18, 19 और 25)

अवलंबित निर्णय

		पैरा
[2009]	(2009) 13 एस. सी. सी. 630 : **मोहब्बत** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	12
[2007]	(2007) 4 एस. सी. सी. 415 : **चंद्रप्पा** बनाम **कर्नाटक राज्य** ;	23
[2006]	(2006) 10 एस. सी. सी. 313 : **कल्लू** उर्फ **मसील और अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	24
[1983]	(1983) 3 एस. सी. सी. 327 : **राणा प्रताप** बनाम **हरियाणा राज्य** ।	16

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2015 की दांडिक अपील सं. 1479.

1994 की दांडिक अपील सं. 174 में बम्बई उच्च न्यायालय के तारीख 30 जुलाई, 2015 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री वाई. पी. अध्यारू, सिद्धार्थ लूथरा, ज्येष्ठ अधिवक्ता, (सुश्री) मनीषा टी. कारिया, (सुश्री) सौम्या, शशांक मोंगल, करन शर्मा, (सुश्री) महिका वर्मा, सांग रतन नेगी और पंकज सिंघल

प्रत्यर्थी की ओर से श्री निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर. बानुमती ने दिया ।

न्या. बानुमती – यह अपील 1994 की दांडिक अपील सं. 174 में बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 30 जुलाई, 2015 को पारित किए गए उस निर्णय से उद्भूत हुई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्त सं. 3, 5, 7 और 8 की दोषमुक्ति के निर्णय को उलट दिया और उन्हें आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया ।

2. संक्षेप में अभियोजन का पक्षकथन यह है कि अभि. सा. 2, अनंत बुधाजी जोशी मृतक-मचिन्द्र बुधाजी जोशी का भाई है । अनंत और मचिन्द्र दोनों बिजली फिटिंग का कार्य कर रहे थे । अभि. सा. 3 केसरीनाथ भगत और अभि. सा. 4 वासुदेव गायकर भी यही कार्य कर रहे थे । अपीलार्थी मोतीराम पाडु जोशी (अभियुक्त 3), रतन मारुति वासकर (अभियुक्त 5), देवीदास मारुति वासकर (अभियुक्त 7), रामनाथ **उर्फ** राम पाडु जोशी (अभियुक्त 8), मृतक मचिन्द्र और अभियोजन साक्षी गांव ओवा-पेठ, तालुका पान्वेल, जिला रायगढ़ के निवासी हैं । अपीलार्थी/अभियुक्त कांग्रेस पार्टी के थे और मृतक तथा अभियोजन साक्षी शिव सेना के थे । वर्ष 1992 में जिला परिषद् के निर्वाचन में दोनों पार्टियां एक दूसरे की दुश्मन बन गई ।

3. तारीख 26 अप्रैल, 1992 को मृतक मचिन्द्र बिजली फिटिंग के कार्य के लिए अभि. सा. 3 और 4 के साथ गांव नंदगांव गया था और वे लगभग 8.30 बजे अपराह्न में मृतक के मकान पर वापस आए थे । तीनों रात्रि भोजन करने पश्चात् आंगन में चारपाई पर बैठे हुए थे । तत्पश्चात्, अभि. सा. 2 मकान के अंदर रात्रि भोजन कर रहा था । लगभग 9.30 बजे अपराह्न में अपीलार्थी अन्य अभियुक्तों के साथ तलवार, चाकू, लाठी और मोटरसाइकिल की चेन जैसे घातक आयुधों से लैस होकर मृतक मचिन्द्र के मकान के आंगन में आए । अपीलार्थी मोतीराम (अभियुक्त 3) अपने हाथ में तलवार लिए हुए था और उसने मृतक के सिर पर हमला किया । अपीलार्थी रतन (अभि. 5) ने तलवार से मृतक की टांगों पर आक्रमण किया । अपीलार्थी रामनाथ (अभि. 8) ने भी तलवार से उसके सिर पर आक्रमण किया । अपीलार्थी देवीदास (अभि. 7) ने चाकू से मृतक के हाथों और टांगों पर आक्रमण किया । अन्य अभियुक्तों ने, जिनके विरुद्ध अपील का उपशमन हो गया है, मोटरसाइकिल की चेन और लाठियों से मृतक पर आक्रमण किया । अभियुक्तों को घातक आयुधों से लैस देखकर अभि. सा. 3 और 4 भयभीत हो गए और मकान के अंदर चले गए तथा मकान की खिड़की के पास खड़े हो गए और घटना को देखा । हमले के कारण मृतक

को गंभीर क्षतियां पहुंचने पर वह चारपाई से गिर गया और अभि. सा. 2 मृतक को अपने भाई अभि. सा. 5 एकनाथ जोशी के ट्रक में टलोजा पुलिस थाने लेकर आया । मृतक की गंभीर हालत को ध्यान में रखते हुए उसे पुलिस कांस्टेबल म्हात्रे के साथ नगरपालिका औषधालय, पांवेल भेजा गया । अभि. सा. 15 आत्माराम, हेड कांस्टेबल ने अभि. सा. 2 का कथन अभिलिखित किया, जिसके आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149 और 307 के अधीन 1992 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 44 रजिस्ट्रीकृत की गई । उसी दिन रात्रि में लगभग 11.30 बजे मचिन्द्र की क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट भारतीय दंड संहिता की धारा 307 से धारा 302 में तब्दील की गई ।

4. उप-निरीक्षक श्री लक्ष्मण रोजल (अभि. सा. 16) ने अन्वेषण का कार्य संभाला और घटनास्थल का दौरा किया तथा कच्चा नक्शा (प्रदर्श ए 42) बनाया । उसने घटनास्थल से रक्तरंजित रजाई (वस्तु सं. 3) के साथ-साथ रक्तरंजित मिट्टी तथा सादा मिट्टी एकत्रित की । शव को शवपरीक्षा के लिए भेजा गया और अभि. सा. 14 डा. रामराव केन्द्रे ने शवपरीक्षा की और मृतक के सिर, टांगों, दाईं भुजा और संपूर्ण शरीर पर विदीर्ण घावों और नील की प्रकृति की कुल 26 क्षतियां पाईं । डा. रामराव केन्द्रे ने यह राय व्यक्त की कि मृत्यु का कारण "अनुकपाल क्षेत्र के ऊपर रक्त अभिघात की वजह से सेलिब्रल नील के साथ-साथ सदमा" था ।

5. अभियुक्तों को तारीख 27 अप्रैल, 1991 को गिरफ्तार किया गया । अपीलार्थी मोतीराम के प्रकटन कथन के आधार पर तारीख 9 मई, 1992 को एक तलवार (वस्तु सं. 8) बरामद की गई । अपीलार्थी रतन और रामनाथ के बताने पर तारीख 11 मई, 1992 और 10 मई, 1992 को तलवारें (वस्तु सं. 9) भी बरामद की गईं । अन्य अभियुक्तों से मोटरसाइकिल की चेन और लाठियां बरामद की गई । रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट से यह प्रकट हुआ कि वस्तु सं. 8 (अपीलार्थी मोतीराम के बताने पर बरामद तलवार) और वस्तु सं. 12 (मोटरसाइकिल की चेन) पर समूह "ए" का रक्त पाया गया था । अन्वेषण पूर्ण होने पर सभी नौ अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 147, 148 और 302 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया ।

6. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपों को साबित करने के लिए कुल 16 साक्षियों की परीक्षा की और तात्विक वस्तुएं तथा प्रदर्शित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए । अभियुक्तों से अपराध में आलिप्त करने वाले

साक्ष्य और परिस्थितियों के बारे में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन प्रश्न पूछे गए और अभियुक्तों ने उन सभी प्रश्नों से इनकार किया और यह कहा कि उन्हें मिथ्या रूप से फंसाया गया है । विचारण न्यायालय ने साक्ष्य पर विचार करने के उपरांत यह उल्लेख किया कि अभि. सा. 2 की आपराधिक पृष्ठभूमि है और उसका साक्ष्य अनधिसंभाव्य है । विचारण न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि अभि. सा. 3 और 4 की घटनास्थल पर मौजूदगी संदेहास्पद है और उनके साक्ष्य अविश्वसनीय हैं तथा अभियुक्तों को दोषसिद्धि करने के लिए उनका अवलंब नहीं लिया जा सकता है । विचारण न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं किया है और सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया ।

7. राज्य द्वारा अपील करने पर उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्तों के आरोपित कृत्य के बारे में अभि. सा. 2 से 4 का साक्ष्य संगत है और चिकित्सीय साक्ष्य तथा आयुधों की बरामदगी द्वारा संपुष्टि की गई है । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि विचारण न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य पर अविश्वास करके गलती की है और विचारण न्यायालय के तर्काधार अनुचित है । उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त करते हुए कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तुरंत रजिस्ट्रीकृत किया जाना अभियोजन के पक्षकथन को विश्वसनीय बनाता है और चिकित्सीय साक्ष्य तथा आयुधों की बरामदगी से भी यह सुदृढ़ हो जाता है, विचारण न्यायालय के निर्णय को उलट दिया और पूर्वोक्त पैरा (1) के अनुसार अपीलार्थियों को दोषसिद्ध किया । उच्च न्यायालय ने अभियुक्त बाबुराव (अभि. सा. 2) की दोषमुक्ति को कायम रखा ।

8. उच्च न्यायालय के समक्ष अपील लंबित रहने के दौरान अभियुक्त राधो धर्मा कोली (अभि. 1), रोहीदास बलराम जोशी (अभि. 4), सत्यवान बालू वास्कर (अभि. 6) और ध्यानदेव सखाराम जोशी (अभि. 9) की मृत्यु हो गई और उनके विरुद्ध अपील का उपशमन हो गया ।

9. हमने अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री वाई. पी. अध्यारू और श्री सिद्धार्थ लूथरा तथा महाराष्ट्र राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल को सुना । हमने आक्षेपित निर्णय का परिशीलन किया और परस्पर विरोधी दलीलों और साक्ष्य तथा अभिलेख पर प्रस्तुत की गई सामग्री पर सावधानीपूर्वक विचार किया ।

10. तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं अर्थात् मृतक का भाई अनंत (अभि. सा. 2), केसरी नाथ (अभि. सा. 3) और वासुदेव (अभि. सा. 4) । अभि. सा. 2 से 4 ने अविचल रूप से यह कथन किया कि घटना की तारीख को रात्रि भोजन करने के पश्चात् मृतक आंगन में चारपाई पर लेटा हुआ था और अभि. सा. 3 और 4 उसके पास बैठे हुए थे । अभि. सा. 2 मकान के अंदर गया था और भोजन कर रहा था । लगभग 9.30 बजे अपराह्न में अपीलार्थी और अन्य अभियुक्त आयुधों से लैस होकर चिल्लाते और दौड़ते हुए वहां आए । अभियुक्तों को घातक आयुधों से लैस देखकर अभि. सा. 3 और 4 डर गए और मकान के अंदर चले गए । अपीलार्थी मोतीराम ने तलवार से मृतक के सिर पर आक्रमण किया, अपीलार्थी रतन ने तलवार से मृतक की टांगों पर आक्रमण किया, अपीलार्थी रामनाथ ने तलवार से मृतक के सिर पर आक्रमण किया और अपीलार्थी देवीदास ने चाकू से मृतक के पैर और टांगों पर आक्रमण किया । मृतक मचिन्द्र द्वारा मचाया गया शोर सुनकर अभि. सा. 2 बाहर आया और शोर मचाया तथा पड़ोसियों को देखकर अभियुक्त घटनास्थल से भाग गए । अभि. सा. 2 से 4 ने अपीलार्थियों यथा वर्णित आरोपित कृत्य के बारे में अविचल रूप से कथन किया है ।

11. अपीलार्थियों द्वारा अभि. सा. 2 के साक्ष्य और उसकी विश्वसनीयता को यह दलील देते हुए आक्षेपित किया गया कि :– (i) अभि. सा. 2 यद्यपि मकान में मौजूद था तो भी वह अपने भाई मचिन्द्र को बचाने के लिए नहीं गया और मूकदर्शक बना रहा ; और (ii) अभि. सा. 2 की आपराधिक पृष्ठभूमि है । घटना से ठीक पूर्व अभि. सा. 2 मकान के अंदर गया था और भोजन कर रहा था । अपने भाई मचिन्द्र द्वारा मचाया गया शोर सुनकर अभि. सा. 2 बाहर आया । क्योंकि अभियुक्तों की संख्या बहुत अधिक थी और तलवार, चाकू, मोटरसाइकिल की चेन और लाठी आदि जैसे घातक आयुधों से लैस थे, इसलिए, अभि. सा. 2 निहत्था होने के कारण स्वाभाविक रूप से भयभीत हो गया होगा और हस्तक्षेप करने का साहस नहीं कर सका होगा । किसी साक्षी के साक्ष्य को केवल इस कारण अविश्वसनीय नहीं माना जाना चाहिए कि उसने एक विशिष्ट रीति में प्रतिक्रिया नहीं की थी ।

12. इसी प्रकार, अभि. सा. 2 की मृतक के साथ नातेदारी अभि. सा. 2 के परिसाक्ष्य पर संदेह करने का कारण नहीं हो सकती है । यह भली-भांति सुस्थिर है कि नातेदारी किसी साक्षी की विश्वसनीयता को

प्रभावित करने का आधार नहीं है । **मोहब्बत** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :–

"11. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल ने उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया है ।

12. केवल इस कारण कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी परिवार के सदस्य हैं, उनके साक्ष्य को स्वतः त्यक्त नहीं किया जा सकता है । जब हितबद्धता का अभिकथन किया गया हो, तो उसे सिद्ध किया जाना चाहिए । मात्र यह कथन कि वे मृतक के नातेदार हैं इसलिए संभवतः अभियुक्तों को मिथ्या रूप से फंसाया गया है, ऐसे साक्ष्य को त्यक्त करने का आधार नहीं हो सकता है जो साक्ष्य अन्यथा सटीक और विश्वसनीय है । हम अभियोजन के वृत्तांत को अग्रसर करने के लिए साक्षियों की हितबद्धता से संबंधित दलील पर भी विचार करेंगे ।

13. ..... नातेदारी किसी साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है । प्रायः, कोई नातेदार वास्तविक अपराधी को छिपाकर किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध अभिकथन नहीं करेगा । यदि मिथ्या फंसाने का अभिवाक् किया जाता है तो उसका आधार दिया जाना चाहिए । ऐसे मामलों में न्यायालय को सतर्कता बरतनी चाहिए और यह पता लगाने के लिए साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना चाहिए कि क्या साक्ष्य सटीक और विश्वसनीय है या नहीं ।

.....

पंजाब राज्य **बनाम** जागीर सिंह [(1974) 3 एस. सी. सी. 2777, लहणा **बनाम** हरियाणा राज्य (2002) 3 एस. सी. सी. 76 (एस. सी. सी. का पृष्ठ 81-82, पैरा 5-9) और गंगाधर बेहरा **बनाम** उड़ीसा राज्य (2002) 8 एस. सी. सी. 381] वाले मामलों में के विनिश्चय इसी आशय के हैं ।

बाबु लाल भगवान खंडारे **बनाम** महाराष्ट्र राज्य [(2005) 10 एस. सी. सी. 404, सलीम साहब **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य (2007) 1 एस. सी. सी. 699 और सोनेलाल **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य (2008) 14 एस. सी. सी. 692 (एस. सी. सी. के पृष्ठ 695-97, पैरा 12-13)] वाले मामलों में भी उपरोक्त स्थिति को उजागर किया गया है ।'

---

[1] (2009) 13 एस. सी. सी. 630.

जैसा कि विभिन्न विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया गया है, ऐसे साक्ष्य पर कार्यवाही करते समय न्यायिक दृष्टिकोण सतर्क होना चाहिए । यह दलील देना अयुक्तियुक्त है कि नातेदार साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य को केवल इस आधार पर त्यक्त कर देना चाहिए कि ऐसा साक्षी नातेदार है ।

13. अभि. सा. 3 और 4 के साक्ष्य को इस आधार पर चुनौती दिए जाने की ईप्सा की गई है कि उनके नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं थे और वे हितबद्ध साक्षी हैं । निस्संदेह, अभि. सा. 3 और 4 के नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं थे । मृतक मचिन्द्र बुरी तरह क्षतिग्रस्त था और जब उसे पुलिस थाने ले जाया गया था, तब उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे पुलिस कांस्टेबल म्हात्रे के साथ अस्पताल भेजा गया था । अभि. सा. 2 शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने में रहा था और उसका कथन अभिलिखित किया गया था । अभि. सा. 2 का भाई बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, इसलिए, उसका मस्तिष्क अवश्य विक्षुब्ध रहा होगा और अपने भाई को बचाने के लिए अवश्य उसे अस्पताल ले जाने की जल्दी में रहा होगा । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों (अभि. सा. 3 और 4) के नामों का उल्लेख न होने की बात का अवलोकन उस स्थिति में किया जाना चाहिए, जिस स्थिति में अभि. सा. 2 रहा था ।

14. इसके अतिरिक्त, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट विश्व शब्दकोष नहीं है जिसमें घटना के समस्त ब्यौरे अंतर्विष्ट हों । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट विश्व शब्दकोष नहीं है जिसमें यह प्रत्याशा की जाती हो कि उसमें अभियोजन पक्षकथन के समस्त ब्यौरे अंतर्विष्ट हों । यह पर्याप्त होगा यदि घटना के बारे में अभियोजन पक्षकथन के मोटे-मोटे तथ्य प्रकट होते हों । यदि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट विलंब के बिना दर्ज की जाती है, तो उसमें हमलावरों या साक्षियों के नामों के बारे में हुआ लोप सदैव अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं होगा । जब तक मामला गढ़ने के संकेत न हों, न्यायालय केवल लोप के कारण ही प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में दिए गए अभियोजन के पक्षकथन को नामंजूर नहीं कर सकता है । प्रस्तुत मामले में, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट विलंब के बिना रजिस्ट्रीकृत की गई थी और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तत्परता से रजिस्ट्रीकृत कराना ही अभियोजन के पक्षकथन के प्रति विश्वास उत्पन्न करता है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का उद्देश्य विधि के अधीन कार्रवाई को आरंभ करना है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में हमलावरों के नाम या साक्षियों के नाम न देना अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक नहीं है । उच्च न्यायालय ने ठीक ही यह मत व्यक्त किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों

के नामों का उल्लेख न होने की बात अभियोजन पक्षकथन के लिए मुश्किल से ही घातक हो सकती है ।

15. अभि. सा. 3 और 4 के साक्ष्य को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि अभि. सा. 3 और 4 मृतक को बचाने के लिए नहीं गए थे और यह बात नितांत अविश्वसनीय है कि अभियुक्तों को देखकर, जो आयुधों से लैसे थे, दोनों मकान के अंदर चले गए । यह भी दलील दी गई कि विचारण न्यायालय ने ठीक ही यह अभिनिर्धारित किया है कि उनके साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं और उच्च न्यायालय ने ऐसे निष्कर्ष में हस्तक्षेप करके और अभि. सा. 3 और 4 के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि करके ठीक नहीं किया है । अभि. सा. 3 और 4 ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि घातक आयुधों से लैस अभियुक्तों की संख्या देखकर वे घबरा गए और मकान के अंदर चले गए तथा खिड़की के पास खड़े हो गए और घटना को देखा । उनके साक्ष्य पर इस आधार पर संदेह नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने आक्रमण में मध्यक्षेप नहीं किया था और न ही मृतक को बचाने का प्रयत्न किया था । अपराध होता हुआ देखकर प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने तरीके से प्रतिक्रिया करता है और उनके साक्ष्य पर इस आधार पर संदेह नहीं किया जा सकता है कि साक्षी ने एक विशिष्ट रीति में कृत्य नहीं किया था । अभि. सा. 3 और 4 के साक्ष्य पर केवल इस कारण संदेह नहीं किया जा सकता कि उन्होंने एक विशिष्ट रीति में कृत्य नहीं किया था ।

16. हम **राणा प्रताप** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले को उपयोगी रूप से निर्दिष्ट कर सकते हैं, जिसमें निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया है :–

> "60 विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा साक्षियों की मौजूदगी पर संदेह करने के लिए दिया गया एक अन्य कारण यह भी था कि मृतक जब हमलावरों के शिकंजे में था तब उसको बचाने के लिए न जाने का उनका आचरण अस्वाभाविक था । हमें यह कहना होगा कि यह टिप्पणी अत्यंत अवास्तविक है । प्रत्येक व्यक्ति, जो कोई हत्या होते हुए देखता है वह अपने तरीके से प्रतिक्रिया करता है । कुछ भौंचक्के रह जाते हैं, मूक बन जाते हैं और घटनास्थल से भाग खड़े होते हैं । कुछ भावुक हो जाते हैं और रोने-चिल्लाने लगते हैं । कुछ सहायता के लिए शोर मचाने लगते हैं । अन्य अपने आप को यथासंभव

[1] (1983) 3 एस. सी. सी. 327.

घटनास्थल से दूर रखने के लिए भाग जाते हैं । अन्य ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो विपदाग्रस्त को बचाने के लिए, यहां तक कि हमलावरों पर उलटा हमला करने की सीमा तक जाकर, दौड़ पड़ते हैं । प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने विशेष तरीके से प्रतिक्रिया करता है । स्वाभाविक प्रतिक्रिया का कोई स्थायी नियम नहीं है । किसी साक्षी के साक्ष्य को इस आधार पर त्यक्त करना कि उसने एक विशिष्ट रीति में प्रतिक्रिया नहीं की थी, साक्ष्य का पूरी तरह अवास्तविक और कल्पनातीत तरीके से मूल्यांकन करना है ।"

17. साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि क्या साक्षी के साक्ष्य में, उसे समग्र रूप में पढ़ने पर, सत्यता झलकती है और अभियोजन के पक्षकथन के अनुरूप है या नहीं, या दृष्टिकोण यह पता लगाने का होना चाहिए कि क्या साक्ष्य मामले के साधारण तात्पर्य के विरुद्ध है या नहीं । उनके साक्ष्य पर केवल इस कारण संदेह नहीं किया जा सकता है कि वे विरोधी गुट के हैं । अपेक्षित यह है कि उनके साक्ष्य की संवीक्षा सतर्कता और सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए । अभि. सा. 2 से 4 के साक्ष्य का परीक्षण करने पर उच्च न्यायालय ने यह पाया कि उनके साक्ष्य संगत और भरोसेमंद हैं । हम भिन्न दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं पाते हैं ।

18. अभि. सा. 2 से 4 के साक्ष्य की संपुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से होती है । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 14 ने यह राय व्यक्त की कि नौ से चौदह क्षतियां तलवारों (वस्तु सं. 8 और 9) द्वारा कारित की जा सकती थीं । इस प्रकार, अभि. सा. 2 से 4 के मौखिक साक्ष्य की संपुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा होती है । अभि. सा. 14 डा. रामराव, जिसने मरणोत्तर परीक्षा की थी, ने यह पाया था कि "उदर में आधा चावल पचा नहीं है ।" अभि. सा. 14 ने यह राय व्यक्त की कि मृतक की मृत्यु उसके अंतिम भोजन के दो घंटे के भीतर हुई थी और यह राय पुनः अभि. सा. 2 से 4 के साक्ष्य के अनुरूप है । अभि. सा. 14 के चिकित्सीय साक्ष्य से अभि. सा. 2 से 4 के साक्ष्य के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है ।

19. अभियुक्तों से आयुधों की बरामदगी से भी अभियोजन के पक्षकथन की संपुष्टि होती है । अपीलार्थी मोती राम के प्रकटन कथन के आधार पर एक तलवार (वस्तु सं. 8) बरामद की गई थी और एक अन्य तलवार (वस्तु सं. 9) अपीलार्थी रतन के बताने पर बरामद की गई थी और अपीलार्थी रामनाथ के प्रकटन कथन के आधार पर भी एक अन्य तलवार

बरामद की गई थी । रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट (प्रदर्श ए-32) से यह दर्शित होता है कि घटनास्थल से अभिगृहीत रजाई पर पाए गए रक्त के धब्बे "ए" समूह के थे । अपीलार्थी मोती राम (वस्तु सं. 8) और रतन (वस्तु सं. 9) के प्रकटन कथन के आधार पर जो तलवारें बरामद की गईं थीं, उन पर भी "ए" समूह का रक्त पाया गया था । बरामद किए गए आयुधों पर "ए" समूह के रक्त (मृतक का रक्त समूह) की मौजूदगी भी अभि. सा. 2 से 4 के साक्ष्य की संपुष्टि और अभियोजन के पक्षकथन को सुदृढ़ करने वाला एक अन्य साक्ष्य है ।

20. अभि. सा. 14 डा. रामराव ने यह पाया कि मृतक की जांघ और टांगें कीचड़ से सनी हुई थीं । अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह दलील दी कि मृतक के शरीर पर कीचड़ की मौजूदगी को देखते हुए घटना के समय और स्थान के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न होता है और घटना मृतक मचिन्द्र के मकान के आंगन में घटने की कोई संभाव्यता नहीं है । इस दलील को एक से अधिक कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता है । प्रथमतः, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अभि. सा. 16 लक्ष्मण शेजल, अन्वेषक अधिकारी ने घटनास्थल अर्थात् मृतक के मकान के आंगन से रक्तरंजित रजाई (वस्तु सं. 3) और रक्त रंजित कीचड़ और सादा कीचड़ भी बरामद की थी । रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट (प्रदर्श ए-32) से रजाई पर "ए" समूह के रक्त की मौजूदगी दर्शित होती है । प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने घटना का वर्णन करते समय यह कथन किया था कि आक्रमण होने के पश्चात् मृतक चारपाई से नीचे गिर गया था ; उस दौरान मृतक की जांघ और टांगें कीचड़ से आलेपित हो गई होंगी । इसलिए, मृतक की जांघ और टांगों पर कीचड़ की मौजूदगी से अभियोजन के पक्षकथन पर संदेह उत्पन्न नहीं होता है । अपीलार्थियों द्वारा दी गई दलील के इस पहलू पर उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के पैरा (42) में विस्तारपूर्वक विचार किया गया है । जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा ठीक ही यह मत व्यक्त किया गया है कि यह इतना अमहत्वपूर्ण तथ्य है कि इसे उतना महत्व नहीं दिया जा सकता है जिससे कि संपूर्ण अभियोजन पक्षकथन को अविश्वसनीय मानकर उसे त्यक्त किया जा सके ।

21. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने फिर यह दलील दी कि उच्च न्यायालय दोषमुक्ति के आदेश में केवल तब हस्तक्षेप कर सकता है जब आबद्धकारी और सारभूत कारण हों और प्रस्तुत मामले में दोषमुक्ति के आदेश को उलटने के लिए ऐसी आबद्धकारी परिस्थितियां या विचारण न्यायालय के निर्णय में स्पष्ट गलती नहीं है ।

22. यह भली-भांति सुस्थिर है कि दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील में अपील न्यायालय विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को, जिसके पास साक्षियों को देखने और सुनने का अवसर था, उलटने में तत्परता नहीं दिखाएगा । दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील में साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने और भिन्न दृष्टिकोण अपनाने के लिए कोई रोक नहीं है, किन्तु दोषमुक्ति के आदेश को उलटने के लिए ठोस परिस्थितियां होनी चाहिए । दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील में अपील न्यायालय का सर्वोपरि ध्यान न्याय की हानि को रोकना होना चाहिए ।

23. **चंद्रप्पा** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील में अपील की शक्ति की व्याप्ति पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों को निर्दिष्ट करने के पश्चात् संक्षेप में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है :–

> 42. हमारे सुविचारित मत में, उपरोक्त विनिश्चयों से दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील पर विचार करते हुए अपील न्यायालय के विरुद्ध अपील पर विचार करते हुए अपील न्यायालय की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित साधारण सिद्धांत प्रकट होता है :
>
> (1) अपील न्यायालय को उस साक्ष्य का जिस पर दोषमुक्ति का आदेश आधारित है, पुनर्विलोकन, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार करने की पूर्ण शक्ति है ।
>
> (2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में ऐसी शक्ति के प्रयोग पर कोई परिसीमा, निर्बंधन या शर्त नहीं डाली गई है और अपील न्यायालय अपने समक्ष साक्ष्य के आधार पर तथ्य और विधि दोनों प्रकार के प्रश्नों पर अपना स्वयं का निष्कर्ष निकाल सकता है ।
>
> (3) विभिन्न अभिव्यक्तियां, जैसे 'सारभूत और आबद्धकारी कारण', 'उचित और पर्याप्त आधार', 'अत्यंत ठोस परिस्थितियां', 'भ्रांतिपूर्ण निष्कर्ष', 'स्पष्ट गलतियां' इत्यादि दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में अपील न्यायालय की विस्तृत शक्तियों को कम करने के लिए आशयित नहीं है । ऐसे वाक्यांश अपील न्यायालय की साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने की शक्ति को कम करने के बजाय दोषमुक्ति में अपील न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप

---

[1] (2007) 4 एस. सी. सी. 415.

करने में अरुचि पर बल देने के लिए 'भाषा की अलंकृतता' की प्रकृति के अधिक हैं ।

(4) तथापि, अपील न्यायालय को अवश्य यह ध्यान में रखना चाहिए कि दोषमुक्ति की दशा में अभियुक्त के पक्ष में दोहरी उपधारणा होती है । प्रथम, उसे निर्दोषिता की उपधारणा दांडिक न्यायशास्त्र के इस मौलिक सिद्धांत के अधीन उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति के बारे में तब तक निर्दोष होने की उपधारणा की जाएगी जब तक कि उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी साबित नहीं कर दिया जाता है । द्वितीय, अभियुक्त अपनी दोषमुक्ति प्राप्त कर लेने पर, विचारण न्यायालय द्वारा उसकी दोषमुक्ति की उपधारणा को और अधिक सुदृढ़, अभिपुष्ट और मजबूत किया जाता है ।

(5) अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर यदि दो निष्कर्ष संभव है, तो अपील न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के निष्कर्ष को नहीं उलटना चाहिए ।

24. **कल्लू** उर्फ **मसीह और अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है :–

"8. दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील का विनिश्चय करते समय अपील न्यायालय की शक्ति दोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करते हुए प्रयुक्त की जाने वाली शक्ति से कम नहीं है । दोनों प्रकार की अपीलों में, संपूर्ण साक्ष्य का पुनिर्विलोकन करने की शक्ति विद्यमान रहती है । तथापि, एक महत्वपूर्ण फर्क यह है कि अपील न्यायालय द्वारा वहां दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, जहां विचारण न्यायालय का निर्णय साक्ष्य पर आधारित है और अपनाया गया दृष्टिकोण युक्तियुक्त और न्यायसंगत है । वह विचारण न्यायालय के विनिश्चय को केवल इस कारण नहीं उलटेगा कि एक भिन्न मत संभव है । अपील न्यायालय इस बात को भी ध्यान में रखेगा कि अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषिता की उपधारणा होती है और अभियुक्त संदेह का फायदा पाने का हकदार है । इसके अतिरिक्त, यदि अपील न्यायालय हस्तक्षेप करने का विनिश्चय करता है, तो उसे विचारण न्यायालय के विनिश्चय से मतभेद के कारण देने चाहिए ।"

---

[1] (2006) 10 एस. सी. सी. 313.

25. प्रस्तुत मामले में, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया है और उसके निष्कर्ष अनुचित हैं । जब विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण अनुचित है, तो दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील में उच्च न्यायालय का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह साक्ष्य का मूल्यांकन करे । मृतक को कुल छब्बीस क्षतियां पहुंची थीं । अभि. सा. 1 से 3 ने घटना के बारे में अविचल रूप से कथन किया है और अपीलार्थी घातक आयुधों से लैस थे और अपीलार्थियों के आरोपित कृत्यों की संपुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य के साथ-साथ अपीलार्थी/अभियुक्तों से की गई आयुधों की बरामदगी से भी होती है । जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा मत व्यक्त किया गया है, विचारण न्यायालय ने अमहत्वपूर्ण पहलुओं जैसे "मृतक की जांघ और टांगें कीचड़ से सनी हुई थीं" और साक्षियों का आचरण कि उन्होंने एक विशिष्ट रीति में प्रतिक्रिया क्यों नहीं की, को महत्व दिया गया और ऐसा करते समय विचारण न्यायालय अभियोजन के पक्षकथन के आधार का मूल्यांकन करने में असफल रहा है । उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाने पर कि विचारण न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष गलत था, विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के आदेश को उलट दिया । हम उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार नहीं पाते हैं ।

26. परिणामतः, अपीलार्थियों की भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है और उनमें से प्रत्येक पर अधिरोपित आजीवन कारावास की पुष्टि की जाती है और यह अपील खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

जस.